भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 2072**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

**<u>कम्पनी अधिनियम में संशोधन</u>**

**2072. श्री बी. सेनगुट्टुवन :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ कतिपय लक्षित योजनाओं हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व परिव्यय को अनिवार्य बनाने के लिए नई नीति बनाने अथवा कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व परिव्यय का कतिपय प्रतिशत निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का विचार है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क) से (घ):** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में एक निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक वाली प्रत्येक कंपनी के लिए एक कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि वह कंपनी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त अपने औसत निवल लाभ की कम-से-कम 2% राशि सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करे। इस अधिनियम की अनुसूची-VII में उन कार्यकलापों की सूची दी गई है जो इन कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों के अंतर्गत किए जा सकते हैं। अनुसूची-VII की मद संख्या (viii) में "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए राहत व कल्याण" को पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में शामिल किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 135, अनुसूची-VII और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.06.2014 को जारी सामान्य परिपत्र के साथ पठित कंपनी सीएसआर नीति नियम, 2014 में व्यापक रूपरेखा दी गई है जिसके अंतर्गत पात्र कंपनियों के लिए अपनी कार्यकलापों सहित सीएसआर नीतियां तैयार करने के साथ-साथ उन्हें उसी उत्साह से कार्यान्वित करना अपेक्षित है। अनुसूची-VII की विभिन्न मदों को सीएसआर राशि आवंटित करने का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के बोर्ड द्वारा किया जाता है।

*****